



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"प्रकीर्ण वर्ग"

लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक:-559/1837/प्रशास/

दिनांक: 05/06/2017

::: कार्यालय ज्ञाप :::

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में सेतुओं के निर्माण (प्रथम एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 963/10 अधि0 प्राप्ति/2010 दिनांक 16-07-2010 के द्वारा निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में डिजाइन एवं कनसलटेन्सी की दरों तथा सामग्री, श्रमिकों व ढुलान की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप समिति की संस्तुति के आधार पर सेतुओं के निर्माण (प्रथम एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें संलग्नानुसार निर्धारित की जाती हैं।

यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जाएंगी एवं दिनांक 01-06-2017 से प्रभावी होंगी।

(संलग्न 3 पृष्ठ)

(एच. के. उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता

लो. नि. वि. उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, लो. नि. वि. उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, लो. नि. वि. उत्तराखण्ड शासन।
3. टी0ए0सी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग यमुना कालोनी देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0/विश्वबैंक/पी0एम0जी0एस0वाई, लो0 नि0 वि0, उत्तराखण्ड देहरादून/ पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा को इस आषय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
8. महाप्रबंधक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, देहरादून।
10. प्रबंध निदेशक गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल विकास निगम देहरादून/ नैनीताल।
11. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर्स I / II विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता IT को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता

लो. नि. वि. उत्तराखण्ड

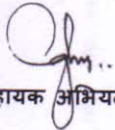
उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नवनिर्माण (प्रथम चरण) हेतु मानक दरें

(दरें लाख ₹ प्रति मीटर)

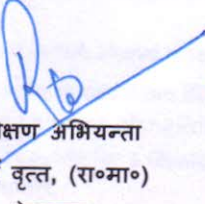
क्र० सं०	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A / 70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A / 70R लोडिंग
अ) मोटर सेतु (पर्वतीय क्षेत्र हेतु)				
1	मोटर सेतु - लम्बाई 60 मी तक	0.240	0.250	0.255
2	मोटर सेतु - लम्बाई 60 मी से अधिक	0.155	0.165	0.170
ब) मोटर सेतु (मैदानी क्षेत्र हेतु)				
1	मोटर सेतु - लम्बाई 60 मी तक	0.170	0.180	0.185
2	मोटर सेतु - लम्बाई 60 मी से अधिक	0.110	0.120	0.125
3	10 मीटर से अधिक गहराई हेतु प्रति कुआँ प्रति मीटर अतिरिक्त	0.040	0.050	0.055
स) पैदल सेतु				
1	आर सी सी / आर्च सेतु - स्पान 20मी तक	0.10		
2	स्टील सेतु - स्पान 40 मी तक	0.10		
3	झूला पुल - स्पान 40 मी से अधिक	0.12		

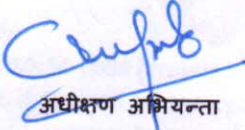
नोट:-

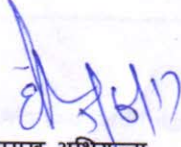
- उपरोक्त दरो पर कोई इंडेक्स देय नहीं होगा।
- उपरोक्त दरो मे IRC:SP:54-2000 "Project Preparation Manual for Bridges" के अनुसार समस्त आवश्यक कार्यों हेतु दरे सम्मिलित है। IRC:SP:54-2000 के अनुसार आवश्यक Activity Chart संलग्न है।


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता


अधीक्षण अभियन्ता
10वाँ वृत्त, (रा०मा०)
देहरादून


अधीक्षण अभियन्ता
9वाँ वृत्त, लो०नि०वि०
देहरादून

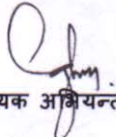

प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

ANNEXURE 'A'

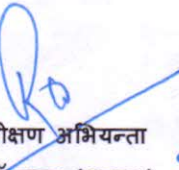
Sl.No.	Stages of Project Report for Bridges	
1	Pre-feasibility Report	
	1.1	Reconnaissance Site visit and report submission
2	Techno-Economic Feasibility / Preliminary Project Report	
	2.1	Data Collection / Preliminary Investigation
	2.1.1	Topographic Survey
	2.1.2	Hydrological Survey
	2.1.3	Traffic Survey
	2.1.4	Sub-Soil Investigation
	2.2	Analysis of Data obtained
	2.3	Identification of alternative bridge sites / alignments
	2.4	Development of Design philosophy
	2.5	Preliminary design, general arrangement drawings and preliminary cost estimates
	2.6	Environmental impact assessment report and economic evaluation
	2.7	Model studies where required (done parallel to 2.5 and 2.6)
	2.8	Submission of Feasibility Report
3	Detailed Project Report	
	3.1	Final Location Survey on chosen alignment
	3.2	Detailed Sub Soil Investigation - Bore Log data
	3.3	Environmental impact assessment on selected alignment
	3.4	Detailed Design of all bridge components
	3.5	Preparation of Detailed Cost Estimates
	3.6	Preparation of Detailed Maps/ Drawings
	3.7	Submission of Detailed Project Report

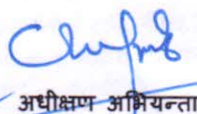
Note

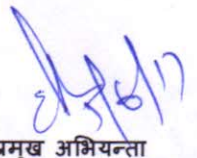
- 1 All T & P are assumed to be inclusive in the above rates.
- 2 All the steps mentioned above are referenced from IRC:SP:54-2000 (Project Preparation Manual for Bridges. Any step not mentioned above may be taken alongside, if deemed necessary by the Engineer in charge.
- 3 The designer/consultant must also provide for a Quality Assurance System and Maintenance Manual (wherever required) in the Detailed Project Report.
- 4 The report content must be in accordance with IRC:SP:54-2000 (Project Preparation Manual for Bridges) and as required by the Engineer in Charge.
- 5 The designer must get the Structural Design and Drawings duly Vetted from any reputable Institute such as IIT's and NIT's before finally submitting the report.


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता


अधीक्षण अभियन्ता
10वाँ वृत्त, (रा०मा०)
देहरादून


अधीक्षण अभियन्ता
9वाँ वृत्त, लो०नि०वि०
देहरादून


प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नवनिर्माण हेतु मानक दरें

(दरें लाख ₹ प्रति मीटर)

क्र० सं०	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A / 70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A / 70R लोडिंग
अ)	स्टील गर्डर मोटर सेतु			
1	मोटर सेतु - स्पान 20 मी से 40 मी तक	4.40	6.00	7.50
2	मोटर सेतु - स्पान 41 मी से 50 मी तक	4.75	6.50	8.25
3	मोटर सेतु - स्पान 51 मी से 60 मी तक	5.00	7.00	9.00
4	मोटर सेतु - स्पान 61 मी से 80 मी तक	-	8.50	11.00
2	मोटर सेतु - स्पान 80 मी से अधिक	-	10.00	12.00
ब)	आर. सी. सी./ प्री-स्ट्रेस मोटर सेतु			
1	आर. सी. सी. मोटर सेतु - स्पान 20 मी तक	4.30	5.00	5.80
2	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मोटर सेतु - स्पान 30 मी तक	-	6.60	7.60
3	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मोटर सेतु - स्पान 30 मी से अधिक (ओपन फ्राउंडेशन / कुएं 10 मी गहराई तक)	6.50	7.25	8.00
4	10 मीटर से अधिक गहराई हेतु प्रति कुआँ प्रति मीटर अतिरिक्त	1.60	1.75	1.80
5	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बॉक्स गर्डर मोटर सेतु - स्पान 30 मी से 60 मी तक	-	-	9.00
स)	पैदल सेतु			
1	आर.सी.सी./आर्च ब्रिज 20 मीटर तक स्पान		1.40	
2	पैदल लौह सेतु 40 मीटर तक स्पान		2.00	
3	झूला पुल 41 से 70 मीटर तक स्पान		3.00	
4	झूला पुल 71 से 100 मीटर तक स्पान		3.50	
5	झूला पुल 101 से 130 मीटर तक स्पान		3.80	
6	झूला पुल सेतु 130 मीटर से अधिक स्पान		4.25	

नोट:-

- 1-यह दरें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर आदि रेल हँड पर निर्धारित की जाती है।
- 2- मोटर सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्राविधान वास्तविक माप के आधार पर अलग से जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु सेतु की लागत का 10 प्रतिशत अलग से जोड़ा जायेगा।
- 3- मोटर सेतु हेतु पहुँच मार्ग हेतु प्राविधान वास्तविक लम्बाई के आधार पर जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु पहुँच मार्ग हेतु प्राविधान 300 मीटर लम्बाई के प्रत्येक ओर किया जायेगा।
- 4- उपरोक्त दरों में Contingences, T&P and Quality Control हेतु प्राविधान शामिल है।
- 5- उपरोक्त दरें सेतुओं के स्पान के आधार पर अनुमान्य होगी।
- 6- निकटतम रेल हँड से दूरी इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगा:-
 अ- पक्के मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी० या उसके अंश 5 किमी० से अधिक पर 1 प्रतिशत।
 ब- कच्चे मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी० या उसके अंश 2.50 किमी० से अधिक पर 1.50 प्रतिशत।
 स- मोटर सेतु हेतु अश्व/पैदल दूरी देय नहीं होगी।
- 7- ऊँचाई हेतु इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगा:-
 अ- 1500 मीटर तक - शून्य
 ब- 1501 मीटर से 2100 मीटर तक - 1 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए
 स- 2101 मीटर से 2400 मीटर तक - 6 प्रतिशत + 3 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए
 द- 2401 मीटर से अधिक - 15 प्रतिशत + 5 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता

10वाँ वृत्त, (रा०मा०)

9वाँ वृत्त, लो०नि०वि०

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

देहरादून

देहरादून